14/6/24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुप। वकील वादी / वादिका को बार-बार कॉल-कॉल कर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक समय 10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05, 05:30 PM तक आवाजें लगवाई गयी। बावजूद वकील वादी / वादिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी / वादिका का वाद अग्रिम सुनवाई अग्रिम दिनांक में स्थगित किया जाता है। पत्रावली को अग्रिम से बाद तिथि पेशी तक मुलतवी किया जाता है।

सहायक पंजीयक
जयपुर शहर पश्चिम